

न्यायालय— श्रीमती सपना पोर्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ (म0प्र०)

क्रमांक २४१/२३

टीकमगढ़, दिनांक १९-०७-२०२३

—:: कार्य विभाजन आदेश ::—

(द०प्र०स० १९७३ की धारा— १४ व १५ के अंतर्गत दाष्ठिक कार्य विभाजन)

दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा १५(२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले में पदस्थ मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य संबंध हेतु पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए निम्नांकित कार्य विभाजन आदेश प्रसारित किया जाता है, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़ के अनुमोदन के उपरांत तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़	आरक्षी केन्द्र— कोतवाली टीकमगढ़ व यातायात टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ म०प्र०	<p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।</p> <p>3. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन।</p> <p>4. नगर पालिका अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>5. स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक १०.१०.०१ में किया गया है।</p>
	खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण		<p>6. संपूर्ण सिविल जिला टीकमगढ़ एवं निवाड़ी के समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं जिला खनिज अधिकारी, जिला— टीकमगढ़ एवं जिला— निवाड़ी से उद्भूत समस्त प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p>
	संपूर्ण राजस्व जिला टीकमगढ़ एवं निवाड़ी		<p>7. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ से संबंधित प्रकरण।</p> <p>8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी टीकमगढ़/निवाड़ी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>9. मानसिक स्वास्थ्य अधि० २०१७ के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>10. संपूर्ण जिले के थाना क्षेत्रों के एक्सपंज रिपोर्ट (ई.आर.)</p> <p>11. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र।</p> <p>12. अन्य ऐसे सभी अधिनियमों के प्रकरण, जिनमें विचारण का आधिकर मात्र सीजेएम/एसीजेएम को होता है, जिनका स्पष्ट उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।</p> <p>13. थाना <u>कोतवाली टीकमगढ़</u> से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने</p>

(श्रीमती सपना पोर्ट)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ (म०प्र०)

		<p>पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p>
2	श्री अमन सिंह भूरिया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ म0प्र0	<p>आरक्षी केन्द्र— बल्देवगढ़ व दिगौड़ा जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p> <ol style="list-style-type: none"> विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। आवश्यक वस्तु अधिरो के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। धारा 138 परकाम्य विलेख अधिरो के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र। स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिरो के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। थाना <u>बल्देवगढ़ एवं दिगौड़ा</u> से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u> दुकान एवं संस्थान अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
	आबकारी अधिनियम	<p>9. संपूर्ण सिविल जिला टीकमगढ़ एवं निवाड़ी के समस्त आरक्षी केंद्रों एवं समस्त आबकारी वृत्तों से उद्भूत 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक शराब की मात्रा के प्रस्तुत समस्त प्रकरण।</p>
	वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण।	<p>10. वन वृत्त टीकमगढ़ व बल्देवगढ़ एवं जिला मुख्यालय टीकमगढ़ के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p>
	धारा 164 द.प्र. सं.	<p>8. आरक्षी केन्द्र <u>खरगापुर</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एकट को छोड़कर धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्वीकृति।</p>

Commissioner of Police, Deoghar

3	श्री अमित निगम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र— देहात जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<ol style="list-style-type: none"> 1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधिऋो के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। 3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधिऋो के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिऋो के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना कोतवाली टीकमगढ़ से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय
4	अरविन्द सिंह	आरक्षी केन्द्र— बुडेरा जिला	<p>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म0प्र0</p> <p>म0प्र0</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. आरक्षी केन्द्र बड़ागांव एवं थाना अजाक द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट को छोड़कर प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्कीर्ति।

श्रीमती नरेन्द्र पाण्डे
मुख्य न्यायिक मानिय
टीकमगढ़ म0प्र0

		<p>के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p>
5	धारा 164 द.प्र. सं.	<p>8. आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं कुड़ीला द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एकट को छोड़कर धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्वीकृति ।</p>
	श्री प्रदीप सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म0प्र0	<p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधिओ के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।</p> <p>3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधिओ के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र ।</p> <p>4. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिओ के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।</p> <p>5. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन ।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण ।</p> <p>7. थाना बड़ागांव से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p>
	धारा 164 द.प्र. सं.	<p>8. आरक्षी केन्द्र बल्देवगढ़ एवं दिगौड़ा द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एकट को छोड़कर प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्वीकृति ।</p>
	ग्राम न्यायालय सम्पूर्ण तहसील टीकमगढ़ म0प्र0	<p>9. माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन से प्रदत्त ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त प्रकार के आपराधिक, विविध आपराधिक प्रकरण ।</p>

(अधिकारी संहिता)
प्रधान अधिकारी (अधिकारी का नाम लिखें)

6	<p>श्री संगम सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— खरगापुर जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। 3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 5. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना <u>खरगापुर</u> से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u> 8. जिला मुख्यालय टीकमगढ़ के रिक्त न्यायालय के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मय प्रशिक्षु जज/मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किये गये ऐसे प्रकरण (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>), जो <u>किसी आरक्षी केन्द्र से संबंधित न होकर किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से संबंधित हों, जिनका प्रभार इस कार्य विभाजन पत्रक में किसी को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा गया है</u>, के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u> 9. आरक्षी केन्द्र <u>देहात एवं मोहनगढ़</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एकट को छोड़कर प्रस्तुत धारा—164 द.प्र.स. के कथन / संखीकृति।
		<p>धारा 164 द.प्र. सं.</p>	

(प्रीमती सच्चना देवी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देहात ज़िला अदालत (म0प्र0)

7	<p>श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ म0प्र0</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— कुड़ीला एवं महिला थाना टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<ol style="list-style-type: none"> विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। थाना कुड़ीला से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u>
	<p>आरक्षी केन्द्र— कोतवाली टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, बल्देवगढ़, कुड़ीला, दिगौड़ा, मोहनगढ़, बुड़ेरा, बड़ागांव, खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न आपराध संबंध में)।</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— कोतवाली टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, बल्देवगढ़, कुड़ीला, दिगौड़ा, मोहनगढ़, बुड़ेरा, बड़ागांव,</p>	<ol style="list-style-type: none"> आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, बल्देवगढ़, कुड़ीला दिगौड़ा, मोहनगढ़, बुड़ेरा, बड़ागांव एवं खरगापुर जिला टीकमगढ़ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 125 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे
			<ol style="list-style-type: none"> आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, बल्देवगढ़, कुड़ीला दिगौड़ा, मोहनगढ़, बुड़ेरा, बड़ागांव एवं खरगापुर जिला टीकमगढ़ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 125 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे

(श्रीमती सपना पोते)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिल्डिंग - टीकमगढ़ (म0प्र0)

	खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म०प्र०	उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां (कुटुम्ब न्यायालय टीकमगढ़ के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) 5. थाना कुडीला संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u>
	धारा 376 भादवि पॉक्सो एक्ट एवं संलग्न धारा एससी/एसटी एक्ट के धारा 164 दप्रस. कथन	आरक्षी केन्द्र बुडेरा, मोहनगढ़, बल्देवगढ़, दिगौडा, अजाक द्वारा मात्र धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।
8	सुश्री रिशू भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म०प्र०	<p>आरक्षी केन्द्र— मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म०प्र०</p> <p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधिऋ के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।</p> <p>3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधिऋ के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।</p> <p>4. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिऋ के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।</p> <p>5. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p> <p>7. थाना मोहनगढ़ से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p>



 (श्रीमती सपना धोरे)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 टीकमगढ़ (म०प्र०)

	<p>धारा 376 भादवि पॉक्सो एकट एवं संलग्न धारा एससी/एसटी एकट के धारा 164 दप्रस. कथन</p>	<p>आरक्षी केन्द्र <u>कोतवाली टीकमगढ़ देहात, बड़ागाँव,</u> <u>खरगापुर, महिला थाना टीकमगढ़</u> द्वारा मात्र धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एकट के प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्वीकृति।</p>
9	<p>श्रीमती संगीता डाबर मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— जतारा एवं बम्हौरी कला जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p> <p>1. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 2. थाना <u>जतारा एवं बम्हौरी कला</u> से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारंट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u> 3. आवश्यक वस्तु अधिओ के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। 4. धारा 138 परकाम्य विलेख अधिओ के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिओ के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 6. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 7. इस न्यायालय के प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, इसी न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंट के पालन में अभियुक्त के प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं इसी मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबंधित अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने हेतु अधिकृत किया जाता है। 8. मुख्यालय जतारा के रिक्त न्यायालय के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मय प्रशिक्षु जज/मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किये गये ऐसे प्रकरण (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>), जो किसी आरक्षी केन्द्र से संबंधित न होकर किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से संबंधित हों, जिनका प्रभार इस कार्य विभाजन पत्रक में <u>किसी को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा गया है</u>, के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारंट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है।</p>

(श्रीमती संगीता डाबर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (म0प्र0)
जिला-टीकमगढ़ (म0प्र0)

		है। यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।
	आबकारी वृत्त जतारा	8. आबकारी वृत्त जतारा द्वारा प्रस्तुत 50 बल्क लीटर से कम मात्रा के प्रकरण।
	धारा 164 द.प्र. सं.	9. आरक्षी केन्द्र <u>लिधौरा एवं चंदेरा</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एकट को छोड़कर प्रस्तुत धारा—164 द.प्र.स. के कथन / संस्वीकृति।
	धारा 376 भादवि पॉक्सो एकट एवं संलग्न धारा एससी/एसटी एकट के धारा 164 दप्रस. कथन	आरक्षी केन्द्र <u>लिधौरा चंदेरा एवं पलेरा</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एकट के प्रस्तुत धारा—164 द.प्र.स. के कथन / संस्वीकृति।
10	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा टीकमगढ़ म0प्र0	<p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधिओ के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।</p> <p>3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधिओ के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र।</p> <p>4. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिओ के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।</p> <p>5. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p> <p>7. थाना <u>लिधौरा एवं चंदेरा</u> से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपरिस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</p>
	वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण	9. वन वृत्त जतारा एवं तहसील जतारा मुख्यालय के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।


	धारा 164 द.प्र. सं.	10. आरक्षी केन्द्र जतारा, बम्होरी कलॉ एवं पलेरा द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एकट को छोड़कर प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्थीकृति।
11	सुश्री विजया भारती यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<p>आरक्षी केन्द्र-पलेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p> <p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधिओ के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।</p> <p>3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधिओ के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।</p> <p>4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन।</p> <p>5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिओ के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p> <p>7. थाना पलेरा से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p>
	आरक्षी केन्द्र-जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्हौरीकला, चंदेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 (महिलाओं के विलोद्ध उत्पन्न अपराध संबंध में)।	<p>9. आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्हौरीकला, चंदेरा क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले <u>महिलाओं के विलोद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</u></p> <p>(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।</p>
	आरक्षी केन्द्र-जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्हौरीकला, चंदेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0	10. आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्हौरीकला, चंदेरा जिला टीकमगढ़ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वालीं विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 125 द0प्र0स0 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
	धारा 164 द.प्र. सं.	10. आरक्षी केन्द्र जतारा, बम्होरी कलॉ एवं पलेरा द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एकट को छोड़कर प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्थीकृति।
11	सुश्री विजया भारती यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<p>आरक्षी केन्द्र-पलेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p> <p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधिओ के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।</p> <p>3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधिओ के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।</p> <p>4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन।</p> <p>5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिओ के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p> <p>7. थाना पलेरा से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p>
	आरक्षी केन्द्र-जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्हौरीकला, चंदेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 (महिलाओं के विलोद्ध उत्पन्न अपराध संबंध में)।	<p>9. आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्हौरीकला, चंदेरा क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले <u>महिलाओं के विलोद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</u></p> <p>(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।</p>
	आरक्षी केन्द्र-जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्हौरीकला, चंदेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0	10. आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्हौरीकला, चंदेरा जिला टीकमगढ़ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वालीं विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 125 द0प्र0स0 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां।



 नामांकन की तिथि: 10/10/2023
 नामांकन करने वाले का नाम: डॉ. विजया भारती यादव
 नामांकन करने वाले का पद: न्यायिक मजिस्ट्रेट
 नामांकन करने वाले का विवरण: न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़, महाराष्ट्र

	धारा 376 भादवि पॉक्सो एवं संलग्न धारा एससी/एसटी एक्ट के धारा 164 दप्रस.	आरक्षी केन्द्र <u>जतारा, बम्हौरी कला</u> द्वारा मात्र धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों के प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।
12	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<p>आरक्षी केन्द्र कोतवाली निवाड़ी टीकमगढ़ म0प्र0</p> <ol style="list-style-type: none"> विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। आवश्यक वस्तु अधिरो के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। धारा 138 परकाम्य विलेख अधिरो के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र। समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिरो के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। थाना <u>कोतवाली निवाड़ी</u> से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u>
	आबकारी वृत्त निवाड़ी	8. आबकारी वृत्त निवाड़ी द्वारा प्रस्तुत 50 ब्ल्क लीटर से कम मात्रा के समस्त प्रकरण।
	वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण	9. वन वृत्त निवाड़ी एवं तहसील निवाड़ी मुख्यालय के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
	धारा 164 द.प्र. सं.	10. आरक्षी केन्द्र <u>पुथ्वीपुर</u> द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।
	धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एवं एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा	आरक्षी केन्द्र ओरछा एवं जेरौन द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।

(श्रीमती सर्पना पाटी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-टीकमगढ़ (म0प्र0)

	164 दप्रस.	
13 सुश्री के.शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र पृथ्वीपुर (नैगुवा राजस्व वृत्त को छोड़कर) एवं यातायात निवाड़ी जिला निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधिऋो के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।</p> <p>3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधिऋो के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।</p> <p>4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन।</p> <p>5. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिऋोके लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p> <p>7. थाना <u>पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर)</u> एवं <u>यातायात निवाड़ी</u> से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p> <p>8. मुख्यालय निवाड़ी के रिक्त न्यायालय के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किये गये ऐसे प्रकरण (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>), जो किसी आरक्षी केन्द्र से संबंधित न होकर <u>किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से संबंधित हों,</u> <u>जिनका प्रभार इस कार्य विभाजन पत्रक में किसी को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा गया है,</u> के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p> <p>9. आरक्षी केन्द्र <u>कोतवाली निवाड़ी</u> द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति</p>
धारा 164 द.प्र. सं.		

	धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एवं एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 164 दप्रस.	आरक्षी केन्द्र महिला थाना एवं टेहरका द्वारा धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एक्ट के प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्कीर्ति।
14	श्री मनीष छापरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<p>आरक्षी केन्द्र सेंदरी सिविल जिला निवाड़ी म.प्र.</p> <ol style="list-style-type: none"> विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। आवश्यक वस्तु अधिरो के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। धारा 138 परकाम्य विलेख अधिरो के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र। समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिरो के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। थाना सेंदरी से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u>
	धारा 164 द.प्र. सं.	2. आरक्षी केन्द्र टेहरका द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्कीर्ति।
15	श्रीमती पलक राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<p>आरक्षी केन्द्र टेहरका एवं महिला थाना निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p> <ol style="list-style-type: none"> विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। आवश्यक वस्तु अधिरो के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। धारा 138 परकाम्य विलेख अधिरो के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र। समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिरो के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।

(श्रीमती सपना फौरे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला - टीकमगढ़ (म0प्र0)

6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।

7. थाना टेहरका से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।

**आरक्षी केन्द्र—
निवाड़ी, टेहरका,
सेंदरी एवं
पृथ्वीपुर
(नैगुवा राजस्व
वृत्त को
छोड़कर) एवं
महिला थाना
निवाड़ी, जिला
निवाड़ी सिविल
जिला टीकमगढ़
म0प्र0
(महिलाओं के
विरुद्ध उत्पन्न
अपराध संबंध
में)।**

8. आरक्षी केन्द्र निवाड़ी, टेहरका, सेंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर) क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।

**आरक्षी केन्द्र—
निवाड़ी, टेहरका,
सेंदरी एवं
पृथ्वीपुर
(नैगुवा राजस्व
वृत्त को
छोड़कर), महिला
थाना निवाड़ी,
जिला निवाड़ी
सिविल जिला
टीकमगढ़ म0प्र0**

9. आरक्षी केन्द्र निवाड़ी, टेहरका, सेंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर) जिला टीकमगढ़ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वालीं विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 125 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां।

**धारा 164 द.प्र.
सं.**

9. आरक्षी केन्द्र सेंदरी द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्वीकृति


**धारा 376 भादवि
एवं पॉक्सो
एवं**

आरक्षी केन्द्र कोतवाली निवाड़ी, सेंदरी, सिमरा द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एकट के धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्वीकृति।

(अधिकारी संपत्ति पालन
मुख्य व्यायक अधिकारी
जिला-टीकमगढ़ (म0प्र0)

	एससी / एसटी एक्ट से संबंधित धारा 164 दप्रस.	
16	<p>श्री राघवेन्द्र पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओरछा सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p> <p>आरक्षी केन्द्र— ओरछा एवं जेरोन जिला निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधि0 के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।</p> <p>3. आरक्षी केन्द्र <u>ओरछा एवं जेरोन</u> क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि0 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र एवं अन्य परिवाद पत्र।</p> <p>4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन।</p> <p>5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि0 के लघु मात्रा के भी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p> <p>7. थाना <u>ओरछा एवं जेरोन</u> से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है।</p> <p>8. मुख्यालय ओरछा के रिक्त न्यायालय के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मय प्रशिक्षु जज/मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किये गये ऐसे प्रकरण (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>), जो किसी आरक्षी केन्द्र से संबंधित न होकर किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से संबंधित हों, जिनका प्रभार इस कार्य विभाजन पत्रक में किसी को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा गया है, के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है।</p> <p>12. ओरछा न्यायालय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आबकारी वृत्त ओरछा द्वारा प्रस्तुत 50 बल्क लीटर से कम मात्रा के आबकारी अधिनियम के प्रकरण।</p>
	आबकारी वृत्त	 <p>(न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाड़ी सिविल टीकमगढ़ (म0प्र0))</p>

	धारा 164 द.प्र. सं.	13. आरक्षी केन्द्र सिमरा द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट को छोड़कर धारा-164 द.प्र.स. के कथन / संस्कीर्ति
17	श्री उपमन्यू शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओरछा सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<p>आरक्षी केन्द्र— सिमरा सिविल जिला निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p> <p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ। 2. आवश्यक वस्तु अधिरोपन के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। 3. आरक्षी केन्द्र <u>सिमरा</u> क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधिरोपन के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र। 4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 5. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिरोपन के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना <u>सिमरा</u> से संबंधित (<u>विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियाँ करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p>
	आरक्षी केन्द्र— ओरछा, जेरौन, सिमरा, पृथ्वीपुर (केवल नैगुवा राजस्व वृत्त) जिला निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0 (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न आपराध संबंध में)।	<p>9. आरक्षी ओरछा, जेरौन, सिमरा, पृथ्वीपुर (केवल नैगुवा राजस्व वृत्त) क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले <u>महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ।</u> (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।</p>
	आरक्षी केन्द्र— ओरछा, जेरौन, सिमरा, पृथ्वीपुर (केवल नैगुवा राजस्व वृत्त) जिला निवाड़ी सिविल जिला	10. आरक्षी केन्द्र ओरछा, जेरौन, सिमरा, पृथ्वीपुर (केवल नैगुवा राजस्व वृत्त) जिला टीकमगढ़ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वालीं विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ एवं धारा 125 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ।


 (श्रीमती नैगुवा पाला)
 श्रीमती नैगुवा पाला
 नैगुवा न्यायिक मजिस्ट्रेट
 टीकमगढ़ म0प्र0

टीकमगढ़ म०प्र०	
वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण।	11. वन वृत्त ओरछा एवं ओरछा अभ्यारण्य एवं तहसील ओरछा मुख्यालय के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
धारा 164 द.प्र. सं.	8. आरक्षी केन्द्र <u>ओरछा एवं जेरौन</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पाक्सो एकट को छोड़कर धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति

— : : सामान्य आदेश : : —

संबंधित मजिस्ट्रेट के अवकाश एवं स्थानांतरण होने की दशा में कमानुसार मजिस्ट्रेट प्रभारी रहेंगे—

क्र	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्तम्भ क. 1	स्तम्भ क. 2	स्तम्भ क. 3
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़	श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम.	श्री अमित निगम जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री अरविन्द सिंह जे.एमएफसी टीकमगढ़
2	श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम.	श्री अरविन्द सिंह जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री प्रदीप सोनी जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री अमित निगम जे.एमएफसी टीकमगढ़
3	श्री अमित निगम जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री प्रदीप सोनी जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री अरविन्द सिंह जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम.
4	श्री प्रदीप सोनी जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री अरविन्द सिंह जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम.	श्री अमित निगम जे.एमएफसी टीकमगढ़
5	श्री अरविन्द सिंह जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री अमित निगम जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री प्रदीप सोनी जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम.
6	श्री संगम सिंह जे.एमएफसी टीकमगढ़	सुश्री रिशू भगत जे.एमएससी टीकमगढ़	श्रीमती नूतन रावते जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री अरविन्द सिंह जे.एमएफसी टीकमगढ़
7	श्रीमती नूतन रावते जे.एमएफसी टीकमगढ़	सुश्री रिशू भगत जे.एमएससी टीकमगढ़	श्री संगम सिंह जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री प्रदीप सोनी जे.एमएफसी टीकमगढ़
8	सुश्री रिशू भगत जे.एमएससी टीकमगढ़	श्री संगम सिंह जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्रीमती नूतन रावते जे.एमएफसी टीकमगढ़	श्री प्रदीप सोनी जे.एमएफसी टीकमगढ़
9	श्रीमती संगीता डाबर मोर्य जे.एमएफसी जतारा	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी जे.एमएफसी जतारा	कु. विजया भारती यादव जे.एमएफसी जतारा	श्री अरविन्द सिंह जे.एमएफसी टीकमगढ़
10	कु. विजया भारती यादव जे.एमएफसी जतारा	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी जे.एमएफसी जतारा	श्रीमती संगीता डाबर मोर्य जे.एमएफसी जतारा	श्री प्रदीप सोनी जे.एमएफसी टीकमगढ़


 (श्रीमती संगमा यादव)
 मुख्य न्यायिक मण्डल
 चिला - १८८५ गढ़ (अ०३०)

11	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी जेएमएफसी जतारा	श्रीमती संगीता डाबर मौर्य जेएमएफसी जतारा	कु. विजया भारती यादव जेएमएफसी जतारा	श्री अमित निगम जेएमएफसी टीकमगढ़
12	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी
13	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी
14	श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी
15	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी
16	श्री राघवेन्द्र पटेल जेएमएफसी ओरछा	श्री उपमन्यू शुक्ला जेएमएफसी ओरछा	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी
17	श्री उपमन्यू शुक्ला जेएमएफसी ओरछा	श्री राघवेन्द्र पटेल जेएमएफसी ओरछा	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी

नोट:-

- प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के अवकाश/प्रशिक्षण पर होने अथवा अन्य किसी कारण से अपने पद पर उपस्थित नहीं होने पर तथा किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के सदस्यगण का पद रिक्त होने से उनका प्रथम प्रभार श्री अरिवन्द्र सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़ एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय प्रभार श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी टीकमगढ़ एवं उक्त दोनों की अनुपस्थिति में उपरोक्त प्रभार आदेशानुसार तथा रिमाण्ड ड्यूटी में टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा के संबंधित उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के कार्य का संपादन किया जायेगा।
- उक्त तालिका में दिये गये प्रभार अनुसार यदि किसी पीठासीन अधिकारी के समक्ष अंकित तीनों कॉलम के प्रभारी अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी दशा में स्तम्भ क्र. 1 में अंकित प्रथम प्रभारी अधिकारी के प्रभार अनुसार उनके प्रभारी अधिकारियों को कमशः प्रभार दिया जाता है।
- श्रीमती नूतन रावते जेएमएफसी टीकमगढ़ के अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एकट के धारा 164 दप्रस. के कथन संस्वीकृती न्यायालय सुश्री रिशू भगत जेएमएफसी टीकमगढ़ के अवकाश अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एकट के धारा 164 दप्रस. के कथन श्रीमती नूतन रावते जेएमएफसी टीकमगढ़ के न्यायालय में लिये जावेंगे।
- श्रीमती संगीता डाबर मौर्य जेएमएफसी जतारा के अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एकट के धारा 164 दप्रस. के कथन संस्वीकृती न्यायालय सुश्री विजया भारती यादव जेएमएफसी जतारा के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे एवं सुश्री विजया भारती यादव जेएमएफसी जतारा के अवकाश अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एकट के धारा 164 दप्रस. के कथन श्रीमती संगीता डाबर मौर्य जेएमएफसी जतारा के न्यायालय में लिये जावेंगे।
- श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी के अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एकट के धारा 164 दप्रस. के कथन संस्वीकृती न्यायालय सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे एवं सुश्री के.

(श्री अमित निगम)
तीकमगढ़ तहसील निवाड़ी
न्यायालय अधिकारी अधिकारी

शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी के अवकाश अवकाश/स्थातनांरण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एकट के धारा 164 दप्रस. के कथन प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी के न्यायालय में लिये जावेगे तथा श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी के अवकाश/स्थातनांरण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एकट के धारा 164 दप्रस. के कथन संस्कृती न्यायालय सुश्री के शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी के न्यायालय में किये जावें।

6. यह कार्यविभाजन पत्रक सभी न्यायाधीशगण के ई-मेल पर संसूचित किया जा रहा है। इसलिए पृथक से प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं है।


श्रीमती सपना पोर्ट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म.प्र.

न्यायालय:- श्रीमती सपना पोर्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक- (२५१) / 2023

टीकमगढ़, दिनांक 19-07-2023

प्रतिलिपि:- (01-21)

- 1— माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2— माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3— माननीय जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता) वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 4— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 5— कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले से संबंधित विभागों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 6— पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 7— श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश महोदय, कुटुम्ब न्यायालय, जिला टीकमगढ़ म0प्र0।
- 8— श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) महोदय, टीकमगढ़ म0प्र0।
- 9— श्रीमान् समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ म0प्र0।
- 10— श्रीमान प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित करने, जिला न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को मेल किये जाने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित किए जाने बाबत।
- 11— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म.प्र.।
- 12— श्रीमान् प्रथम/द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0।
- 13— श्रीमती संगीता डाबर मोर्य/कु. विजया भारती यादव/श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0।
- 14— श्रीमान् प्रथम/द्वितीय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0।
- 15— श्रीमती प्राची उपाध्याय/सुश्री के.शिवानी/श्री मनीष छापरिया/श्रीमती पलक राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0।
- 16— श्री राघवेन्द्र पटेल/श्री उपमन्यु शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ओरछा सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0।


(श्रीमती सपना पोर्ट)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-टीकमगढ़ (म0प्र0)

- 17— जिला अभियोजन अधिकारी टीकमगढ़ की ओर समस्त अभियोजन अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।
- 18— अध्यक्ष अभिभाषक संघ, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा, जिला टीकमगढ़ म.प्र।
- 19— सिस्टम ऑफीसर/एसए टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 20— केन्द्रीय फाईलिंग काउंटर टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 21— निष्पादन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट: 1. उक्त कार्यविभाजन पत्रक की प्रति सभी न्यायाधीशगण को ई-मेल के माध्यम से संसूचित की जा रही है।

8/19/23
श्रीमती सपना पोर्ट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म0प्र0

अनुभाव
स्वीकृत
19.07.23.
S.T.P. Kangra,
(हिमेन्द्र सिंह सिसोदिया)
(एच.जे.एस.)
सत्र व्यापारीश
टीकमगढ़ (म.प्र.)